राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : PSKS / अभियान–21 / डीएलबी / 2021 / २०९० दिनांकः– ०९/०९/२०२२

आदेश

नियमानुसार निकायों द्वारा जारी किये जाने वाले लीज से फ्री–होल्ड पट्टों को समर्पण उपरान्त पुनः फ्री होल्ड का पट्टा जारी करने हेतु केवल मात्र अतिरिक्त राशि लेकर ही पट्टा जारी किया जाना होता है तथा प्रक्रिया पूर्ण होने पर माहपौर / सभापति / अध्यक्ष के साथ अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से पट्टा जारी होता है। विभाग की जानकारी में आया है कि इन समस्त औपचारिकता पूर्ण करने में प्रायः विलम्ब होता है।

अतः राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि आमजन की सुविधा हेतु प्राधिकरण / न्यास की भांति नगर निगम जोन उपायुक्त व नगर परिषद / नगर पालिकाओं में आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी को लीज होल्ड से फ्री–होल्ड पट्टे जारी करने हेतु उनके स्वयं के एकल हस्ताक्षर से पट्टा जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : PSKS / अभियान–21 / डीएलबी / 2021/२०९१-२१०२ दिनांक :– ०९/०९/२०२२
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
4. समस्त आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें, राजस्थान।
5. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)

D/PSKS2021/Order